

विषय :- नया रायपुर क्षेत्र के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के संबंध में।

==0==

नया रायपुर क्षेत्र (लेयर-1, लेयर-2 एवं लेयर-3) में एनआरडीए द्वारा Lease पर दिये गये भू-खण्ड/भवन हाऊसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित भवन या एनआरडीए द्वारा स्वीकृत योजना के अन्तर्गत प्राईवेट बिल्डर द्वारा निर्मित भवन में एनआरडीए द्वारा जारी किये जाने वाले अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। वितरण कम्पनी के अधिकारी Lease agreement एवं एनआरडीए के अन्य स्वीकृति पत्र के आधार पर विद्युत कनेक्शन अपने स्तर पर जारी कर सकते हैं।

नया रायपुर के अधिसूचित क्षेत्र की तीनों लेयर में उपरोक्त दस्तावेज की अनुपलब्धता की स्थिति में वितरण कम्पनी के संबंधित अधिकारी द्वारा उपभोक्ता से एनआरडीए का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु निवेदन किया जावे।